

फर्द अहकाम

सुरेश चौधरी

बनाम

अविनाश वगै०

ालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० 168/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.08.2025	<p>अधिवक्ता श्री रामावतार सिंह द्वारा वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Devi</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर</p>	
19.9.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित हैं। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली 13/10/25 को पेश की</p> <p style="text-align: center;"><i>Devi</i></p>	
13.10.25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अपकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27.10.25 को पेश हो।</p>	
27.10.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके भविक्ता अनुपस्थित। वादी को न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार न्यायाज्ञे लगायी गयी। न्यायालय न्यायाज्ञे के उपरांत भी वादी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली न्यायालय-१ नियम-७ प्रा.री. के तहत समय हाजरी व न्याय पत्रकी में स्तारिज की गयी। पत्रावली कोषण नुसार होकर नंबर ले नाम होकर दाखिल कर्ता है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Devi</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर</p>	